



2026:AHC:126684

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19374/2026

ऐनुद्दीन @ मौलाना

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : मनोज कुमार सिंह, सर्वेश कुमार दुबे

विपक्षी के अधिवक्ता : जी0ए0

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य की ओर से ए0जी0ए0 की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखा।

2. आवेदक की ओर से यह जमानत अर्जी दायर की गई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 0123/2026 यू0पी0 गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत, थाना-सुमेरपुर, जिला-हमीरपुर में सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।

3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि गैंग चार्ट के अनुसार, आवेदक दो आपराधिक मामलों में शामिल दिखाया गया है और संबंधित अदालत ने उसे इन मामलों में पहले ही जमानत दे दी है। आगे यह भी कहा गया है कि पुलिस की रंजिश के कारण आवेदक को इस मामले में झूठा फँसाया गया है। आवेदक किसी गिरोह का सदस्य नहीं है। वह 13.04.2026 से जेल में बंद है।

यह भी कहा गया है कि ज़मानत मिलने पर वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुक़दमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए0जी0ए0. ने आवेदक की ज़मानत की अज़ी का विरोध किया है।

5. सभी तथ्यों, मामले की प्रकृति और रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों पर विचार करने के साथ-साथ एक्ट की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे ज़मानत के लिए उपयुक्त मामला मानता हूँ। इसलिए, ज़मानत की यह अज़ी **मंज़ूर** की जाती है।

6. उक्त आपराधिक मामले में शामिल आवेदक - **ऐनुद्दीन उर्फ मौलाना** को संबंधित अदालत की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो ज़मानतदार पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ ज़मानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को वे बातें बताने से रुके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा या उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय में इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहेगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करना और (iii) बीएनएसएस की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करना।

(iv) आवेदक यह लिखित वचन देगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में मौजूद हों, तो वह सबूत पेश करने के लिए तय तारीखों पर सुनवाई टालने (स्थगन) की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक विचारण न्यायालय में तय हर तारीख पर खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहेगा।

7. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय द्वारा ज़मानत रद्द करने का आधार बन सकता है।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस ज़मानत अर्ज़ी पर फैसला करने के मकसद तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा और इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित नहीं होगा।

10 जून, 2026

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)